

कार्यालय:-जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म.प्र.)

// सूचना //

क्रमांक / **125** / अभि0 / 2025

नर्मदापुरम, दिनांक:-02/07/2025

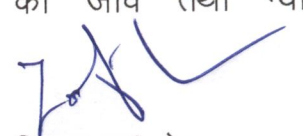
जिला एवं सेशन न्यायालय नर्मदापुरम स्थित अभिलेखागार एवं तहसील न्यायालयों में स्थित अभिलेखागार में रखे हुये निराकृत अभिलेखों/प्रकरणों की कागज की रद्दी के विक्रय के संबंध में :-

सरल क्रमांक	अभिलेखागार का नाम	अभिलेखों/प्रकरणों की रद्दी की अनुमानित मात्रा (किंवदंतल)
1	नर्मदापुरम	(50 - 55) पचास से पचपन
2	इटारसी	(6 - 7) छः से सात
3	पिपरिया	(1) एक
4	सोहागपुर	(1 - 1/2) एक से डेढ़

अभिलेखों/प्रकरणों की उक्त रद्दी के विक्रय के संबंध में जो भी बेण्डर/केता इच्छुक हो वे अपनी-अपनी रद्दी क्रय करने की दरें दिनांक 15.07.2025 के सायंकाल 05:00 बजे तक बंद लिफाफे में इस कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

रद्दी क्रय करने हेतु निम्न बिन्दु आवश्यक हैं :-

1. उक्त रद्दी कागज की रद्दी है जिसे अभिलेखागार से उठाने एवं ले जाने का व्यय स्वयं केता का होगा।
2. जिस बेण्डर/केता की अभिलेखों की रद्दी क्रय करने की दर स्वीकृत की जावेगी, उसे स्वीकृति उपरांत सूचना दिनांक के सात दिवस के भीतर रद्दी क्रय करनी होगी।
3. उक्त रद्दी को उठाने/क्रय करने के पूर्व कागजों की मशीन से सेडिंग/कागजों को चार टुकड़ों में फाड़ना आवश्यक होगा।
4. रद्दी केता को रद्दी उठाने/क्रय करने के पूर्व संबंधित रद्दी की क्रय राशि न्यायालय के संबंधित हेड में ऑनलाईन माध्यम से जमा कराकर उसकी रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
5. जिस स्थान की रद्दी की दर स्वीकृत की जावेगी, उसी स्थान से रद्दी उठाया जाना है।
6. एक बेण्डर/केता एक या एक से अधिक स्थानों की रद्दी क्रय करने के लिये अपनी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. उक्त सूचना अभिलेखागार नर्मदापुरम एवं तहसील न्यायालयों के अभिलेखागार के मुख्य पटल पर चस्पा की जावे तथा न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जावे।


वास्ते-जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.)